उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 23/2023/201/छप्पन-2023-07/2008
लखनऊ: दिनांक: 06 मार्च, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन निदेशालय,उत्तर प्रदेश के परिचालन इकाई के अन्तर्गत पायलट (रोटर विंग) के पद पर श्री दीपक श्रीवास्तव को रू0 01.80/- लाख (रूपए एक लाख अस्सी हजार मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक पर शासनादेश संख्या: 21/छप्पन-2008-53/99 टी0सी0 दिनांक 30 जनवरी, 2008 द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अग्रेत्तर 05 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। तदोपरान्त श्री दीपक श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग) की सेवाओं की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनकी संविदा सेवा बढ़ाई जाती रही, वर्तमान में श्री दीपक श्रीवास्तव की संविदा सेवा अवधि शासनादेश संख्या: 17/2018/130/छप्पन-2018-07/2008 टी0सी0-01 दिनांक 06 मार्च, 2018 द्वारा दिनांक 07 मार्च, 2018 से आगामी 05 वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी, जो दिनांक 06 मार्च, 2023 को समाप्त हो रही है। उक्त के दृष्टिगत निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा पत्र दिनांक 07 फरवरी, 2023 के माध्यम से श्री दीपक श्रीवास्तव की संविदा अवधि वर्तमान मासिक पारिश्रमिक रूपए 6,33,195.00/- (रूपए छ: लाख तैतीस हजार एक सौ पिच्चानबे मात्र) एवं शासनादेश संख्या: 1422/छप्पन-2011-17/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार यथासमय अनुमन्य 05 प्रतिशत वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि पर दिनांक 07 मार्च, 2023 से अग्रेतर 05 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने का प्रस्ताव शासन के निर्णयार्थ उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः निदेशक, नागरिक उड्डयन के उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 की परिचालन इकाई के अन्तर्गत पायलट (रोटर विंग) के पद पर कार्यरत श्री दीपक श्रीवास्तव की संविदा अवधि वर्तमान मासिक पारिश्रमिक एवं शासनादेश संख्या:1422/छप्पन-2011-17/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार यथासमय अनुमन्य 05 प्रतिशत वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि पर दिनांक 07 मार्च, 2023 से आगामी 05 वर्ष (अर्थात 06 मार्च, 2028 तक) के लिए बढ़ाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। प्रश्नगत संविदा सेवा अवधि वृद्धि किसी अन्य प्रकरण में दृष्टांत स्वरुप स्वीकार्य नहीं होगी।

3- श्री दीपक श्रीवास्तव की संविदा सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत् जारी रहेंगी।

4- श्री दीपक श्रीवास्तव से संविदा सेवा वृद्धि के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कर शासन को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराया जाएगा।

आनन्द कौशिक
अनु सचिव

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 23/2023/201(1)/छप्पन-2023-07/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री दीपक श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग) से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कर शासन को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्री दीपक श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग) नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
3. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।